सं.आईसीएमआर/आरएंडपी सेल/पदोन्नति/अनुभाग अधिकारी/2026

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद

अंसारी नगर, नई दिल्ली - 110029
दिनांक : .07.2026

कार्यालय आदेश

विषय: नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति – के संबंध में।

****

विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनानुसार, निम्नलिखित सहायक को वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-7 (₹44,900-1,42,400) पर नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है। उनकी पदोन्नति उनके पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तारीख से प्रभावी होगी:-

क्रं.सं.	**नाम**	**वर्तमान में कार्यरत संस्थानों/क्रेन्दों के नाम**	**पदोन्नति पर आवंटित संस्थानों/केंद्रों के नाम**	**टिप्पणी**
1.	सुश्री मेहरुन्निसा जामिन अली शेख (PwBDOH)	आईसीएमआर-एनआईवी, पुणे	आईसीएमआर-एनआईवी, पुणे	अनारक्षित पद पर **अपनी योग्यता क्रम के** आधार पर पदोन्नत।

2. उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 10 दिनों के भीतर नियमित आधार पर पदोन्नत पद को ग्रहण करने के लिए अपनी स्वीकृति दें। यदि 10 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर उनसे स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि अधिकारी पदोन्नति स्वीकार करने का इच्छुक नहीं है तथा यह पदोन्नति आदेश आगे कोई अन्य नोटिस की प्रतीक्षा किए बिना स्वतः ही रद्द हो जाएगा। स्वीकृति प्रस्तुत करने के लिए या अन्यथा पदोन्नत पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए बाध्यकारी आधारों को छोड़कर समय बढ़ाने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. परिषद के नियमों के अनुसार वे भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

4. उनका वेतन 7वें केंद्रीय वेतन आयोग और सीसीएस (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 की सिफारिशों के अनुसार नियत किया जाएगा।

5. उन्हें पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक माह के भीतर यह विकल्प देना होगा कि वे नए पद का नियत वेतन लेंगे, या पदोन्नत पद, अनुभाग अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से या 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के पिछले वेतन स्तर में उसकी अगली वेतन वृद्धि की तारीख से वेतन लेंगे।

6. यदि वे अपनी पदोन्नति स्वीकार करने से इंकार कर देते है तो उन्हें आगे तब तक वित्तीय उन्नयन के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, जब तक कि वे पुनः पदोन्नति हेतु विचार किए जाने के लिए सहमत नहीं हो जाते।

7. निर्धारित अवधि के भीतर पदोन्नत पद की कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहने की स्थिति में, उन्हें एक वर्ष के लिए पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा और डीओपीटी के दिनांक 1 अक्टूबर, 1981 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22034/3/81-स्था.(डी) के अनुसार, वंचित अवधि के दौरान पदोन्नति का कोई नया प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा।

8. इसके अतिरिक्त, दिनांक 12.04.2022 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/16/2019-स्था.(Res.) के पैरा 5 के अनुसार, उपर्युक्त पदोन्नति भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सी.ए. संख्या 629/2022 (विशेष अनुमति याचिका (नागरिक) संख्या 30621/2011 से उत्पन्न) शीर्षक जरनेल सिंह एवं अन्य बनाम लच्छमी नारायण गुप्ता एवं अन्य तथा अन्य संबद्ध मामलों में पारित होने वाले आगे के आदेशों के अधीन होगी।

-हस्त-
(रीमा शर्मा)
सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

सुश्री मेहरुन्निसा जामिन अली शेख
सहायक,
आईसीएमआर-एनआईवी पुणे

प्रतिलिपिः-

1. परिषद के महानिदेशक/अपर महानिदेशक(एसपी)/अपर महानिदेशक(एएस)/वरिष्ठ उप महानिदेशक (प्रशा.)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार, के निजी सचिव।
2. **निदेशक, आईसीएमआर-एनआईवी, पुणे** – इस अनुरोध के साथ कि पदोन्नत अधिकारी द्वारा पदोन्नति की स्वीकृति/कार्यभार ग्रहण/कार्यभार संभालने/ पदोन्नति से इनकार करने, यदि कोई हो, को ईमेल के माध्यम से स्थापना अनुभाग, परिषद मुख्यालय को तुरंत **admin1.hq@icmr.gov.in** पर भेजा जाए।
3. उपमहानिदेशक(प्रशा.)/सहायक महानिदेशक (प्रशा.)सहायक महानिदेशक(वित्त एवं लेखा)।
4. आहरण एवं वितरण अधिकारी/बिल अनुभाग परिषद मुख्यालय।
5. प्रशासन अधिकारी (आरक्षण कक्ष), परिषद मुख्यालय।
6. सतर्कता/लेखा -I/VI अनुभाग/कानूनी प्रकोष्ठ, परिषद मुख्यालय।
7. नोडल अधिकारी, आरटीआई डेस्क, , परिषद मुख्यालय।
8. बजट/गार्ड फ़ाइल।